बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0 प्र0

R-2757-III/14

श्रीमति आशा पत्नी श्री प्रकाश अहिरवार उम्र 45 वर्ष निवासी रौरईया चौराहा टीकमगढ म,प्र,

.........निगराकार

बनाम

प्रकाश तनय ~~00000~~ श्रीराम अग्रवाल निवासी नूतन विहार कालोनी ढोंगा टीकमगढ तह. व जिला टीकमगढ म0 प्र0

.....प्रतिनिगराकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

निगराकार सादर निम्न प्रकार विनयी है :-

§1§ यह कि निगराकार ने भू.ख.क्र.463 रकबा 0.376 आरे दिनांक 30.6.2000 को विक्रेता~~xxxx~~ शिमला अहिरवार, किस्सू अहिरवार, अन्तुआ अहिरवार निवासी ग्राम नयाखेरा तह. व जिला टीकमगढ म0 प्र0 से क्रय की थी तथा रजिस्ट्री दिनांक को ही कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा सड़क किनारे की रजिस्ट्री हुई थी । तथा उसी समय ~~अब~~ निगराकार ने कथित भू.ख.क्र. पर मकान निर्माण कर लिया था तथा फेन्सिग कर कब्जा कर लिया था । तथातभी से लगातार कथित भू.ख.क्र.463 पर स्वत्व स्वामित्व एवं एवं कब्जाधारी होकर कृषि कार्य करती चली आ रही है तथा 50-60 वर्ष पूर्व से विक्रेतागण काबिज रहे है जिस हेतु विक्रेतागणो का शपथ पत्र संलग्न है ।

§2§ यह कि भू.ख.क्र. 455,466 श्रीमति चन्द्रप्रभा यादव निवासी टीकमगढ द्वारा वर्ष 1999 में क्रय की थी । तथा उसके वाद वर्ष 2012 में भू.ख.क्र. 455,466 प्रतिनिगराकार ने क्रय की है ।

§3§ यह कि निगराकार क्रय दिनांक से लगातार अपनीकृषि भूमि पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(8)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2757–तीन/2014 जिला–टीकमगढ

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
7–1–15 सागर कैंप	आवेदक अधिवक्ता श्री राजेश सेन उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील न्यायालय टीकमगढ के प्र.क. 83/अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 12–6–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– राजस्व निरीक्षक टीकमगढ़ के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा सीमांकन प्रकरण में विधिक प्रकिया का पालन करते हुये सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गई है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी विधिसंगत नहीं होने से इसी स्तर पर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	